[illegible] अधिकारी तहसीलदार [illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय नम्बर हस्ताक्षर जज
	प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी [illegible] 32/2025
20.06.2025	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीया उपस्थित। प्रकरण मे तहसीलदार श्रीमाधोपुर से बिन्दु संख्या 1 से 3 के सम्बन्ध मे चाही गई वांछित तथ्यात्मक रिपोर्ट जरिये पत्रांक 1633/भू.अ./2025 दिनांक 03.06.2025 के द्वारा प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली की गई। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 24.06.2025 को पेश हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)
24.06.2025 2337/रीडर 30-06-2025	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीया उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से वकील प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी पर आज ही बहस सुने जाने का निवेदन किया। जिस पर बहस वकील प्रार्थीया एकपक्षीय सुनी गई। वकील प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार की जाती है। प्रकरण में मेरे द्वारा पृथक से निर्णय लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णयानुसार पालना किये जाने हेंतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:59:12 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्री अनिल कुमार (RAS)

प्रकरण संख्या	आरसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
32 / 2025	2025 / 187	22.05.2025	24.06.2025

उनवान प्रकरण

मंजूलता पत्नि प्रभूदयाल उम्र 55 वर्ष जाति रैगर निवासी मुण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0।

––प्रार्थीया

बनाम्

भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर, जिला – सीकर राज0।

––अप्रार्थी

उपस्थित :–

श्री रमेश कुमार, एड0 – प्रार्थीया की ओर से।
पैरोकार सरकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर– अप्रार्थी की ओर से।

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने यह प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत राजस्व ग्राम मुण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 2904 रकबा 0.04 हैक्टर भूमि का प्रार्थीया खातेदार काश्तकार है। उक्त कृषि भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:59:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

खसरा नम्बर 2904 रकबा 0.04 हैक्टर का विधिवत तरीके से सीमाज्ञान तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश क्रमांक/भू.अ./87 दिनांक 23.05.2024 की पालना में दिनांक 12.06.2024 को पटवारी हल्का मूण्डरू द्वारा पड़ौसी खातेदारों की मौजूदगी में विधिवत तरीके से सीमाज्ञान किया गया है। सीमाज्ञान रिपोर्ट संलग्न है। प्रार्थीया अपनी उक्त वर्णित भूमियों की विधिवत रूपेण पत्थरगढी करवाना चाहती है। प्रार्थीया की भूमि के कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं है। इसलिए प्रार्थीया की खातेदारी एंव कब्जा काश्त की भूमि की पत्थरगढी सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार करवाया जाना आवश्यक एंव न्यायोचित है। जिसकी पत्थरगढ़ी सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 12.06.2024 के अनुसार किये जाने का निवेदन प्रार्थीया के द्वारा प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

इस पर प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में अप्रार्थी (तहसीलदार) द्वारा हाजिर अदालत नहीं आने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर से जॉच रिपोर्ट ली जाने जाने पर जॉच रिपोर्ट जरिये पत्रांक 1633/भू.अ./2025 दिनांक 03.06.2025 के द्वारा प्राप्त हुई। जिसमें तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अवगत कराया है कि वादग्रस्त आराजी भूमि खसरा नम्बर 2904 रकबा 0.04 हैक्टर भूमि का प्रार्थीया खातेदार काश्तकार होना तथा उक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 12.06.2024 को किया गया था। उक्त भूमि के पड़ौसी खसरा नम्बर 2905 पर मुकदमा नम्बर 29/2025 में माननीय न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम सं. 2 श्रीमाधोपुर व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के द्वारा मौका एंव रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु स्थगन आदेश जारी है तथा उक्त भूमि के पड़ौसी खसरा नम्बरान् के खातेदारान् से कोई विवाद नहीं है। खसरा नम्बर 2904 के सीमाज्ञान के दौरान कृषि भूमि का कम या ज्यादा नहीं होते हुए रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित किया है। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से रिपोर्ट प्राप्त होने से वकील प्रार्थीया ने सीधे ही बहस सुनी जाने का निवेदन किये जाने पर सीधे ही बहस सुनी जाकर प्रकरण का

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:59:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया। जिस पर प्रकरण में बहस वकील प्रार्थीया एक पक्षीय सुनी गई।

दौराने बहस वकील प्रार्थीया ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी में वर्णित तथ्यों को बार–बार दोहराते हुए कथन किया कि पत्थरगढ़ी करवाये जाने वाले खसरा नम्बर की खातेदारी प्रार्थीया के नाम दर्ज रिकार्ड है। वादग्रस्त आराजी के मौके पर कोई विवाद या स्थगन इत्यादि नहीं है। जिसकी पत्थरगढ़ी करवाये जाने का निवेदन वकील प्रार्थीया के द्वारा किया गया है।

हमने वकील प्रार्थीया की एकपक्षीय बहस ध्यानपूर्वक सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि ग्राम मूण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 2904 रकबा 0.04 हैक्टर की खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया के नाम रिकार्डेड होना प्रकट होता है। जिसका सीमाज्ञान प्रार्थीया के द्वारा तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश से सम्बन्धित पटवारी हल्का मूण्डरू के द्वारा दिनांक 12.06.2024 के द्वारा किया जाना प्रकट होता है। प्रस्तुत प्रकरण में वादग्रस्त भूमियों का सीमाज्ञान दिनांक 12.06.2024 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश क्रमांक 1633/भू.अ./2025 दिनांक 03.06.2025 की अनुपालना में विधिवत तरीके से पटवारी हल्का मूण्डरू द्वारा किया जाना स्पष्टतः प्रकट होता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीया द्वारा अपनी खातेदारी में दर्ज भूमियों का सीमाज्ञान करवा लिये जाने से प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विधिवत [illegible] सीमाज्ञान के अनुसार प्रकरण में पत्थरगढ़ी करवाया जाना न्यायहित में उचित प्रतित होना है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:59:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में पटवारी हल्का मूण्डरू द्वारा दिनांक 12.06.2024 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक कृषि भूमि खसरा नम्बर **2904** रकबा 0.04 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम मूण्डरू की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किए जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि वे पत्थरगढ़ी की फीस भू.अ.निरीक्षक फीस 900/– रूपये एंव दो पटवारियान् की फीस 600/– रूपयें प्रति पटवारी की दर से 1200/–रूपये कुल 2100/– रूपयें जरिये चालान राज्य कोष में जमा ली जावें तथा मूल चालान की प्रति पेश होने पर पड़ौसी खातेदारान् को सूचित करते हुए व उनकी उपस्थिति में सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 12.06.2024 के अनुसार बिना सींव डोल को हिलाये (प्रकरण में अंकित खसरा नम्बरान् पर किसी दीगर न्यायालय का कोई स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो) पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेशित किया जाता है। उक्त पत्थरगढ़ी के इस आदेश की पालना में किसी प्रकार के कब्जे को हटाने/दिलाने की कार्यवाही नहीं की जावेगी। मुताबिक निर्णय पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:59:12 IST
Reason: SelfAttested

यह निर्णय आज दिनांक [illegible] को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)